...लय उपखण्ड ............ कठूमर जिला अलवर

1/7/19

तारीख रजू.............

समला बनाम चतर सिंह वगैरा

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| ...19 | वकील वादी उपस्थित। [illegible] वकील वादी ने [illegible] पेश किया। [illegible] हो। प्रतिवादी [illegible] तलब हो। पत्रावली दिनांक 4/2/19 को पेश हो। SDM | 50 11/1/19 |
| 2/19 | वादी वकील उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 10/01/19 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11/2/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) | |
| 11-2-19 | आज यह पत्रावली पेश हुई आज बार हड़ताल के कार्य स्थगित किया। पत्रावली दिनांक 21/2/19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर कठूमर (अलवर) | |
| 21/2/19 | आज यह पत्रावली पेश हुई आज बार एसो. के कार्य स्थगित किया। पत्रावली दिनांक 5/3/19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर कठूमर (अलवर) | |
| 5/3/19 | बकुलाय [illegible] वाहब [illegible] पत्रावली दिनांक 9/4/19 को पेश हो। | |
| 9/4/19 | बकुलाय [illegible] P.O. वाहब [illegible] पत्रावली दिनांक 28/5/19 को पेश हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:20 IST
Reason: SelfAttested

| | |
|---|---|
| 17/7/14 | पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण हाजिर बहस वकील वादीगण सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 28/7/14 को पेश होवे<br>SDM |
| 28/7/14 | पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण हाजिर। दावा वादिया घोषणात्मक व हुक्मनाई स्थाई साबित होने से डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया फर्द डिक्री जारी हो पत्रावली कोर्ट फीस [illegible] से कम हो बाद तकमील जाब्ता [illegible] जिला रिकॉर्ड जमा हो। सुनाया<br>SDM |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:20 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

## पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

### राजस्व वाद संख्या 01/7/2019

**वउनवान**

1. समला पत्नी करणसिंह जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर

वादिया

**बनाम**

1. चतरसिंह पुत्र लल्लू जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर
2. पूनी पत्नी लल्लू जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

3. करणसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादी

**दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी**

उपस्थित

श्री कृपादयाल गुर्जर एडवोकेट– अधिवक्ता वादिया

**निर्णय** दिनांक 28/7/23

वादिया द्वारा प्रस्तुत दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1268 रकवा 1.58 हे. वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 के पिता व प्रतिवादनी संख्या 2 के पति श्री लल्लू पुत्र [illegible] जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा के 1/2 हिस्सा की कब्जे काश्त खातेदारी [illegible] दर्ज रे. आराजी थी। लल्लू के फौत हो जाने पर उनका निधन इन्तकाल प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हो गया। प्रतिवादीगण के पति एवं पिता लल्लू को रूपयों की जरूरत थी जिस कारण मृतक लल्लू ने उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा तरफ उत्तर वादिया को जरिये ईकरारनामा दिनांक 23.06.1992 को वादिया से बेचान वावत 80000 रूपया लेकर वेचान कर दिया व उक्त आराजी पर वादिया को कब्जा करा दिया। जिस वेचान वावत मृतक लल्लू ने 5 रूपया के एक स्टाम्प व एक पाइप पेपर पर ईकरारनामा लिखकर व उस पर गवाहान की गवाही कराकर व गवाहान के समक्ष रकम प्राप्त कर ईकरारनामा लिखकर वादिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:20 IST
Reason: SelfAttested

के हवाले कर दिया। वाद वेचान विवादित आराजी से मृतक लल्लू व प्रतिवादीगण के हक व अधिकार खत्म होकर वादिया के हित में निहित हो गये। वाद खरीद से वादिया विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करली चली आ रही है। लेकिन राजस्व कर्मचारियान ने विना मौका की जांच किये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से विवादित आराजी के 62/125 हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी जो गलत है। विवादित आराजी का 63/125 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज है जिस पर तरतीवी प्रतिवादी काविज है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। दिनांक 23.06.1992 से लगातार वादिया का कब्जा चला आ रहा है इस प्रकार वादिया का विगत 27 साल से लगातार कबजा है। विवादित आराजी पर वादिया का पुराना प्रतिकूल कब्जा होने से वादिया एडवर्स पजेशन के आधार पर व बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ विवादित आराजी को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने व प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कराने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण चतुर व चालाक  के जबर्दस्त व्यक्ति है राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रहने की वजह से अव प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गयी है तथा प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर जवरन कब्जा करने व वादिया को जवरन वेदखल करने व विवादित आराजी को दीगर लोगों का रहन वय कराकर कब्जा कराने की धमकी दे रहे हैं। अतः वादिया ने विवादित आराजी वावत प्रतिवादीगण की खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन करने प्रतिवादीगण को पाबन्द करने व वाद वादिया मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व दिनांक 17.06.2019 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादिया ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी सवत् 2072 से 2075 प्रदर्श–1, मूल ईकरारनामा दिनांक 23.06.1992 प्रदर्श–2, नकल नामान्तकरण संख्या 754 वाके ग्राम सालवाडी प्रदर्श–3 पेश किये जो पत्रावली के साथ संलग्न है।

वादिया ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादिया समला पी डब्ल्यू 1, गवाह रामचरण पी डब्ल्यू 2 व गवाह करनसिंह पी डब्ल्यू 3 के वयान लेखवद्व कराये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हमने विद्वान अधिवक्ता वादिया की एकपक्षिय वहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड मूल ईकरारनामा तथा गवाहान के वयानों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों

को दोहराते हुये कथन किया कि वादिया ने विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सालवाडी प्रतिवादीगण के पिता एंव पति लल्लू से जरिये ईकरारनामा खरीद किया है तथा मौके पर कबजा प्राप्त किया है। वाद खरीद दिनांक 23.06.1992 से वादिया का लगातार कब्जा है। मूल ईकरारनामा में लल्लू ने वेचान वावत रकम प्राप्त करना व मौके पर विवादित आराजी पर वादिया को कब्जा देना स्वीकार किया है। गवाहान ने विवादित आराजी पर सन् 1992 से लगातार कब्जा काश्त होना कथन किया है। वाद वादिया पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष से सावित है जो मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व गवाहान के वयानात का अवलोकन किया। जमाबन्दी प्रदर्श–1 संवत् 2072 से 2075 में विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1–2 के 62/125 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी के 63/125 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श–2 मूल ईकरारनामा है जिसमें लल्लू पुत्र प्रभाती जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1268 रकवा 6 वीघा 5 विस्वा का 1/2 हिस्सा तरफ उत्तर वादिया से वेचान मद्दे 80000 रूपया लेकर वेचान करना, वेचान वावत रकम प्राप्त करना व उक्त आराजी पर कब्जा देना कथन किया है। ईकरारनामा पर लल्लू के अंगूठा निशानी है तथा गवाह गिर्राज मीना व भगवान लोधा के हस्ताक्षर वतौर गवाह है। प्रदर्श–3 नामान्तकरण संख्या 754 में आराजी खसरा नम्बर 1268 की विरासत प्रतिवादी सं0 1–2 के नाम स्वीकार की गयी है। वादिया का कथन कि विवादित आराजी सन् 1992 में प्रतिवादीगण के पति एंव पिता लल्लू से जरिये ईकरारनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है व लगातार वादिया का कब्जा चला आ रहा है। जिस वावत वादिया को एडवर्स [illegible] के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। गवाह वादिया ने विवादित आराजी पर सन् 19[illegible] र काविज रहकर काश्त करना कथन किया है स्वतंत्र [illegible] आराजी पर सन् 1992 से ही लगातार वा[illegible] कब्जा काश्त होना [illegible] किया है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहान के वयान से विवा[illegible]जी पर वादिया का सन् 1992 से लगातार कब्जा सावित है। ईकरारनामा में प्रतिवादीगण के पति व पिता लल्लू ने उक्त आराजी वावत वेचान रकम प्राप्त करना व कब्जा वादिया को कराना स्वीकार किया है। अतः वादिया का विवादित आराजी पर लगातार कब्जा काश्त होना सावित है। विवादित आराजी पर वादिया का कब्जा ना हो व प्रतिवादीगण के पति एंव पिता लल्लू ने विवादित आराजी का 62/125 हिस्सा वादिया से वेचान वावत रकम प्राप्त कर वेचान नहीं किया

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:20 IST
Reason: SelfAttested

हो यह तथ्य प्रतिवादीगण को हाजिर अदालत होकर सावित करने चाहिए थे लेकिन प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः विवादित आराजी पर वादिया का सन् 1992 से लगातार कब्जा सावित होने से वादिया आराजी खसरा नम्बर 1268 रकवा 1.58 हे. वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर के 1/2 हिस्सा तरफ उत्तर की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी पाया जाता है। वादिया का वाद सावित होने से डिकी योग्य पाया जाता है।

## आदेश

अतः दावा वादिया घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिकी किया जाकर वादिया को आराजी खसरा नम्बर 1268 रकवा 1.58 हे. के 62/125 हिस्सा तरफ उत्तर वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1–2 के नाम को कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में वादिया के नाम संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादिया के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल ना करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लाखनसिह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आज दिनांक 28/7/21 को यह निर्णय [illegible] लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:20 IST
Reason: SelfAttested

लाखनसिह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

## पर्चा डिक्री

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

## पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

वउनवान

1.समला पत्नी करणसिंह जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर

डिक्रीदार

बनाम

1.चतरसिंह पुत्र लल्लू जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर
2. पूनी पत्नी लल्लू जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर

मदयूनान

3. करणसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादिया घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिक्री किया जाकर वादिया को आराजी खसरा नम्बर 1268 रकवा 1.58 हे. के 62/125 हिस्सा तरफ उत्तर वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1–2 के नाम को कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में वादिया के नाम संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादिया के [illegible] काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जबरन वेदखल ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.05.16 17:43:20 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 28/7/23 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०